

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 292/2024

अनवान : -

1. शेरसिंह पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. फुसाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सुशील कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 9/8 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 75/75 की कुल 0.3800 हैक्ट भूमि में रामकुमार पुत्र वीरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 112/109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7, 8 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के पिता ने बंटवारा कर दिया था मुताबिक बंटवारा ही पक्षकारान उक्त वाद भूमि पर काबिज है एवं इसी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं अतः वादग्रस्त भूमि मुताबिक बंटवारे के अनुसार अलग अलग करवा पाने के अधिकारी है जो कि निम्न प्रकार से है-

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 के प० न० 368/369 के मु० न० 30 के किला न० 2/2 की 0.2280 हैक्ट में से 0.0130 हैक्ट गैर० मु० रास्ता उत्तर से दक्षिण के पश्चिमी पासा की तरफ रास्ता, किला न० 9/0 की 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट उत्तर से पश्चिमी पासा की तरफ से रास्ता किला न० 8 की 0.018 हैक्ट, 12 की 0.202 हैक्ट पश्चिमी पासा, किला न० 13 की 0.051 हैक्ट पश्चिमी पसा, किला न० 18 की 0.2 हैक्ट, किला न० 23 की 0.0253 हैक्ट एवं रोही मौजा 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 75/75 की कुल

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.3800 हैक्ट भूमि में रामकुमार पुत्र वीरसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 112/109 के प०न० 367/369 मु०न० 29 के किला न० 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० रास्ता, किला न० 4/2 की 0.2270 हैक्ट भूमि किला न० 7 की 0.2270 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 112/109 के प०न० 367/369 के मु०न० 29 के किला न० 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 5/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.2270 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, किला न० 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.095 हैक्ट, किला न० 13 की 0.1265 हैक्ट, किला न० 14 की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 के पास रहेगी।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 83/83 के प०न० 368/369 मु०न० 30 के किला न० 2/2 की 0.114 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 11 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 8/1 की 0.1580 हैक्ट, किला न० 12 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.1265 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 2 के पास रहेगी।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 83/83 के प०न० 368/369 के मु०न० 30 के किला न० 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 2/2 की 0.101 हैक्ट, 3/1 की 0.0260 हैक्ट, गै०मु० रास्ता, 3/2 की 0.2270 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.235 हैक्ट, किला न० 9/1 की 0.240 हैक्ट, 12/1 की 0.05025 हैक्ट, किला न० 12/1 की 0.013 हैक्ट गै०मु० रास्ता उत्तर से दक्षिण पासा में रास्ता भूमि प्रतिवादी स० 3 के पास रहेगी। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है।

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कई दफा कहा की वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या

a
अधिवक्ता
नोहर

9 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के पिता ने पूर्व में बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे। अतः मुताबिक बंटवारा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 83/83 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 प्रत्येक के नाम 1/7 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 9/8 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 75/75 की कुल 0.3800 हैक्ट भूमि में रामकुमार पुत्र वीरसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि, रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 112/109 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7, 8 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के पिता ने पूर्व में बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे। अतः मुताबिक बंटवारा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

अ
असस्य अधिकारी
नोहर

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 के प०न० 368/369 के मु०न० 30 के किला न० 2/2 की 0.2280 हैक्ट में से 0.0130 हैक्ट गैर० मु० रास्ता उत्तर से दक्षिण के पश्चिमी पासा की तरफ रास्ता, किला न० 9/0 की 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट उत्तर से पश्चिमी पासा की तरफ से रास्ता किला न० 8 की 0.018 हैक्ट, 12 की 0.202 हैक्ट पश्चिमी पासा, किला न० 13 की 0.051 हैक्ट पश्चिमी पासा, किला न० 18 की 0.2321 हैक्ट, किला न० 23 की 0.253 हैक्ट रहेगी एवं शेष की पास रामकुमार वाली भूमि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 112/109 के किला न० 7 की 0.2277 हैक्ट पूर्वी साईड की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 75/75 की कुल 0.3800 हैक्ट भूमि में रामकुमार पुत्र वीरसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 112/109 के प०न० 367/369 के मु०न० 29 के किला न० 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 4/2 की 0.2270 हैक्ट, किला न० 7 की 0.2277 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता सं० 112/109 के प०न० 367/369 मु०न० 29 के किला न० 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 5/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.2270 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.095 हैक्ट, 13 की 0.1265 हैक्ट अगुणा पासा, किला न० 13 की 0.1265 हैक्ट भूमि व किला न० 14 की किला न० 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.095 हैक्ट, किला न० 13 की 0.1265 हैक्ट अगुणा पासा, किला न० 14 की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 के प०न० 368/369 मु०न० 30 के किला न० 2/2 की 0.114 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 11 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 8/1 की 0.1580 हैक्ट, किला न० 12 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.1265 हैक्ट पश्चिमी पासा की भूमि का प्रतिवादी सं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 के प०न० 368/369 के मु०न० 30 के किला न० 2/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 2/2 की 0.101 हैक्ट, 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 3/2 की 0.2270 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.235 हैक्ट, किला न० 9/1 की 0.240 हैक्ट, 12/1 की 0.051 हैक्ट उत्तरी पासा, किला न० 13/1 की 0.202 पूर्वी पासा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं किला न० 12/1 में उत्तर से दक्षिण पश्चिमी पासा में रास्ता रहेगा का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

al
उपसूचक अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 112/109 के प0न0 367/369 मु0न0 29 के किला न0 7 की 0.0253 हैक्ट पश्चिमी साईड की भूमि का प्रतिवादी स0 7 व 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 292/2024

अनवान : -

1. शेरसिंह पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री वीरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. फुसाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सुशील कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 292 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 83/83 के प०न० 368/369 के मु०न० 30 के किला न० 2/2 की 0.2280 हैक्ट में से 0.0130 हैक्ट गैर० मु० रास्ता उत्तर से दक्षिण के पश्चिमी पासा की तरफ रास्ता, किला न० 9/0 की 0.2530 हैक्ट भूमि में से 0.013 हैक्ट उत्तर से पश्चिमी पासा की तरफ से रास्ता किला न० 8 की 0.018 हैक्ट, 12 की 0.202 हैक्ट पश्चिमी पासा, किला न० 13 की 0.051 हैक्ट पश्चिमी पासा, किला न० 18 की 0.2321 हैक्ट, किला न० 23 की 0.253 हैक्ट रहेगी एवं शेष की पास रामकुमार वाली भूमि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 112/109 के किला न० 7 की 0.2277 हैक्ट पूर्वी साईड की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 75/75 की कुल 0.3800 हैक्ट भूमि में रामकुमार पुत्र वीरसिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता सं० 112/109 के प०न० 367/369 के मु०न० 29 के किला न० 4/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 4/2 की 0.2270 हैक्ट, किला न० 7 की 0.2277 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता सं० 112/109 के प०न० 367/369 मु०न० 29 के किला न 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 5/1 की 0.0260 हैक्ट गै०मु० खाला, 5/2 की 0.2270 हैक्ट, 6/1 की 0.0250


उपखण्ड अधिकारी
नोहर


हैक्ट गैमु० खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.095 हैक्ट, 13 की 0.1265 हैक्ट अगुणा पासा, किला न० 13 की 0.1265 हैक्ट भूमि व किला न० 14 की किला न० 7 की 0.2530 हैक्ट, 8 की 0.095 हैक्ट, किला न० 13 की 0.1265 हैक्ट अगुणा पासा, किला न० 14 की 0.2530 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 83/83 के प०न० 368/369 मु०न० 30 के किला न० 2/2 की 0.114 हैक्ट, प०न० 367/370 मु०न० 34 के किला न० 11 की 0.2530 हैक्ट, किला न० 8/1 की 0.1580 हैक्ट, किला न० 12 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.1265 हैक्ट पश्चिमी पासा की भूमि का प्रतिवादी स० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 83/83 के प०न० 368/369 के मु०न० 30 के किला न० 2/1 की 0.0250 हैक्ट गैमु० रास्ता, 2/2 की 0.101 हैक्ट, 3/1 की 0.0260 हैक्ट गैमु० रास्ता, 3/2 की 0.2270 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गैमु० रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट, 8/1 की 0.235 हैक्ट, किला न० 9/1 की 0.240 हैक्ट, 12/1 की 0.051 हैक्ट उत्तरी पासा, किला न० 13/1 की 0.202 पूर्वी पासा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं किला न० 12/1 में उत्तर से दक्षिण पश्चिमी पासा में रास्ता रहेगा का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

रोही मौजा चक 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 112/109 के प०न० 367/369 मु०न० 29 के किला न० 7 की 0.0253 हैक्ट पश्चिमी साईड की भूमि का प्रतिवादी स० 7 व 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर